<u>प्रक्रिया</u>

वेंडर का पंजीकरण- संक्षिप्त दिशा-निर्देश

अस्वीकरण :

उत्तर मध्य रेलवे (उ.म.रे.) में वेंडरों के पंजीकरण की प्रक्रिया का निम्नलिखित सारांश केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए दिया गया है, अत: इसका वर्णन विधिक भाषा में नहीं किया गया है। इसलिए विधिक और प्रशासनिक नियमों, पद्धतियों और प्रक्रिया के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा।

रेल प्रणाली के सुचारु संचालन एवं उसे सुदृढ़ स्थिति में बनाए रखने के लिए उत्तर मध्य रेलवे को वर्ष में रु. 300 करोड़ से अधिक मूल्य के विभिन्न प्रकार के लगभग 10,000 जटिल और परिष्कृत उपस्करों एवं पुर्जों तथा उपभोज्य सामग्री सहित निर्माण ठेके के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मदों की आवश्यकता पड़ती है।

1- रेलवे को मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की सामग्रियों की आवष्यकता होती है :-

रेलवे द्वारा डीजल/इलेक्ट्रिक लोको के पुर्जे और एसेम्बली, कैरिज एवं वैगन, विभिन्न पुर्जे, औजार, उपकरण और मषीनें, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, सिगनल एवं दूर संचार मदें, रेलपथ मदें, हार्डवेयर, कपड़े, पैट्रोलियम उत्पाद, स्टेशनरी, विभिन्न कच्ची सामग्रियाँ और अन्य सामान्य मदों की खरीद की जाती है।

इसके अतिरिक्त उत्तर मध्य रेलवे के भंडार नियंत्रक विभिन्न फार्मों और स्टेशनरी मदों की प्रिंटिंग और आपूर्ति के लिए तथा विभिन्न स्क्रैप/कंडम रोलिंग स्टॉक, मशीनरी, फेरस एवं नॉन-फेरस मदों के निस्तारण के लिए उत्तरदायी भी हैं।

विकास और खरीद की सुविधा के लिए मदें विभिन्न "वेंडर" ट्रेड ग्रुपों में विभाजित हैं इन्हें पंजीकरण फार्म के साथ आपूर्ति की गई बुकलेट में उल्लिखित किया गया है।

2- खरीद के लिए रेलवे द्वारा निविदा के निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं :

(i) **बुलेटिन निविदा :** अपेक्षित मदों का पाक्षिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाएगा। पंजीकृत वेंडरों को रजिस्टर्ड डाक के जरिए बुलेटिन भेजे जाते हैं जिसमें रु. 10 लाख से कम की रेलवे की मांग, टेंडर के खुलने की निर्धारित तिथि का उल्लेख

रहता है। इसके अतिरिक्त निष्पादित निविदाएं, जारी की गई विज्ञापित निविदाओं के संबंध में सूचना भी प्रकाशित की जाती है। विधिवत पंजीकृत वेंडर इन निविदाओं में सम्मिलित हो सकते हैं।

(ii) **सीमित निविदा :** केवल चुनिंदा पंजीकृत और अनुमोदित वेंडरों, पूर्व के आपूर्तिकर्ताओं और अन्य इसी तरह के स्रोतों को ही निविदा पूछताछ जारी की जाती है।

(iii) **विज्ञापित निविदा :** इसे सभी प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा रु.10 लाख से अधिक लागत वाली सभी खरीदों के लिए वेंडरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापित निविदा सूचनाएं प्रकाशित कराई जाती हैं।

(iv) **पीएसी खरीद अर्थात एकल निविदा :** जहाँ केवल एक ही स्रोत विद्यमान है। एकल स्रोत मद के लिए कभी-कभी विज्ञापित सूचनाएं भी जारी की जाती हैं ताकि विकास की इच्छा रखने वाले वेंडर्स इसमें सम्मिलित हो सके।

सभी बुलेटिन निविदा, सीमित निविदा, विज्ञापित निविदा और पीएसी खरीद अर्थात एकल निविदा उत्तर मध्य रेलवे की वेबसाइट www.ncr.railnet.gov.in से देखी और डाउनलोड की जा सकती है।

उपरोक्त (ii), (iii) एवं (iv) की निविदाओं के लिए पहले से पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं है। हालांकि अपंजीकृत फर्मों का अनुबंध की बयाना राशि, प्रतिपूर्ति राशि जमा करना पड़ता है।

3- खरीद का मूल तत्व युक्ति संगत स्रोत का चयन करना है। इसलिए फर्मों की सामर्थ्य सह क्षमता का मूल्यांकन और समय-समय पर रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित अन्य जाँचों को करने के बाद फर्म का पंजीकरण सावधानी पूर्वक किया जाता है। **ऊपर उल्लिखित अनुसार बुलेटिन निविदाओं में पंजीकरण आवश्यक है।** अन्य प्रकार की निविदाओं में पंजीकृत वेंडर्स बयाना राशि और प्रतिभूति जमा आदि के संबंध में निश्चित रियायत के लिए पात्र हैं।

4- एनएसआईसी/डीजीएसएंडजी/किसी क्षेत्रीय रेलवे अथवा रेलवे की उत्पादन इकाईयों के भंडार नियंत्रक द्वारा पंजीकृत न हुई फर्मों के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंडः

(ए) फर्में भारत के किसी भी हिस्से में स्थापित हों परंतु पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकती हैं और उनका मूल रेलवे में उनके पंजीकरण अथवा अपंजीकृत होने का ध्यान किए बिना उनका इस रेलवे पर पंजीककरण गुण-दोष के आधार पर किया जा सकता है। हमारी मांग मुख्यतः रेलवे के विशिष्ट उपस्करों की होती है और विनिर्माता सुविधा वाली मदों की आवश्यकता पड़ती है एवं इसीलिए विनिर्माता इकाइयों को वरीयता दी जाती है। विनिर्माता, प्राधिकृत डीलर, स्टेशनरी की प्रिटिंग एवं आपूर्तिकर्ता के रूप में वेंडर्स अपने आपको भंडार नियंत्रक/उ.म.रे. के कार्यालय में पंजीकृत करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए पात्रता नीचे दिए अनुसार है,

(i) **विनिर्माता :**

विनिर्माता के रूप में पंजीकरण के लिए पिछले 03 वर्षों का कुल टर्न ओवर रु. 50 लाख से अधिक होना चाहिए। सभी विनिर्माता इकाइयां आईएसओ 9000 प्रमाणित इकाई अवश्य होना चाहिए। एनएसआईसी/डीजीएसएंडडी/रेलवे/रेलवे की उत्पादन इकाइयों में पंजीकृत फर्मों के लिए टर्न कुल ओवर की सीमा लागू नहीं है।

(ii) **प्राधिकृत डीलर :**

प्राधिकृत डीलर के रूप में पंजीकरण के लिए पिछले 03 वर्षों का कुल टर्न ओवर रु. 10 लाख से अधिक होना चाहिए। प्राधिकृत डीलर, आईएसओ 9000 प्रमाण पत्र धारक कम से कम 2 फर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। यदि फर्म इस आशय का शपथ पत्र देती है कि वह विशेष रूप से केवल आईएसओ प्रमाणित फर्म की मदों की डीलिंग करती है तब इस शर्त में रियायत दी जा सकती है।

(iii) **स्टेशनरी की प्रिटिंग एवं आपूर्ति :**

स्टेशनरी की प्रिटिंग एवं आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीकरण के लिए पिछले 03 वर्षों का कुल टर्न ओवर रु. 05 लाख से अधिक होना चाहिए। इस श्रेणी के लिए आईएसओ की शर्त लागू नहीं है।

(बी) संबंधित बिक्री कर प्राधिकारी द्वारा बिक्री कर पंजीकरण

(ग) सामग्रियों की खरीद के लिए उत्तर मध्य रेलवे में इलेक्ट्रानिक खरीद प्रणाली (ईपीएस) लागू है। इसलिए पंजीकरण के लिए इच्छुक प्रत्येक फर्म को भारत सरकार, आईटी एक्ट 2005 के अनुसार किसी सत्यापनकर्ता प्राधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर वाला प्रमाण-पत्र और ई-मेल आईडी प्राप्त करना अनिवार्य है और आवेदन पत्र के साथ इसका प्रमाण संलग्न करना आवश्यक है। तत्काल संदर्भ के लिए लाइसेंस प्राप्त प्रमाणितकर्ता एजेंसियों की सूची नीचे दी गई है :-

क्र. सं.	प्रमाणित कर्ता एजेंसी का नाम	फोन नं.	वेबसाइट का पता
1.	एमटीएनएल	011-24329563	www.mtnltrustline.com
2.	(एन)कोड साल्यूशन (जीएनएफसी)	91-79-26857316	www.gInvfc.com
3.	सेफस्क्रिप्ट	044-22540770	www.safescrypt.com
4.	टीसीएस	022-22024827	www.tcs-ca.tcs.co.in
5.	एनआईसी	011-24361133	www.nic.in
6.	आईडीआरबीटी	040-23534982-85	www.idrbtcd.org.in
7.	सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क	011-26877960	www.icert.gov.in

5- फर्म के नए पंजीकरण की प्रक्रिया :

(i) भंडार नियंत्रक से फर्म को पंजीकृत कराने के अनुरोध के साथ फर्म का आवेदन पत्र उसके लेटर हेड पर प्राप्त होने पर वेंडर पंजीकरण सेक्शन द्वारा एक सप्ताह के अंदर अनुलग्नक "ए" में दिया गया “प्रारंभिक फार्म“ जारी किया जाएगा और उसमें अपेक्षित कागजातों एवं उसके संपूर्ण विवरण भरकर प्रस्तुत करने हेतु कहा जाएगा। प्रारंभिक फार्म भंडार नियंत्रक के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किए अथवा उत्तर मध्य रेलवे की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

(ii) जब प्रारंभिक फार्म सभी अपेक्षित कागजात के साथ प्राप्त हो जाता है तब इसकी छानबीन की जाएगी और यदि कोई कमी पाई जाती है तो सामान्यतया प्रारंभिक फार्म के प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर फर्म को इससे अवगत कराया जाएगा।

(iii) फर्म द्वारा सभी कागजात प्रस्तुत कर देने के बाद पंजीकरण प्रक्रिया शुल्क के रूप में रु. 1000 जमा करने के लिए फर्म को मुख्य आवेदन फार्म अनुलग्नक बी के रूप में जारी किया जाएगा। एनएसआईसी से पंजीकृत फर्मों को इस शुल्क के भुगतान से छूट है। फर्म को उपरोक्त फार्म को विधिवत भरकर प्रक्रिया शुल्क के रूप में वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद के पक्ष में जारी रु.1000/- के डिमांड ड्राफ्ट के साथ अपेक्षित कागजात संलग्न कर प्रस्तुत करना आवष्यक है।

(iv) फर्म द्वारा सभी कागजात प्रस्तुत कर देने के बाद फर्म की वित्तीय स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए फर्म के बैंकर्स को वित्तीय मानक प्रारूप सं. 3 गोपनीय पुष्टि करने हेतु भेजा जाएगा।

(v) उसी श्रेणी में पंजीकरण के लिए बैंकर्स रिपोर्ट आवश्यक नहीं है जिन श्रेणी के लिए फर्में संबंधित क्षेत्रीय रेलवे/आरसीएफ/आईसीएफ/डीएलडब्ल्यू/सीएलडब्ल्यू/डीएमडब्ल्यू/एन एस आई सी/ डीजीएस एंड डी/आरडीएसओ से पहले से पंजीकृत हैं।

(vi) सभी पहलुओं से पूर्ण विधिवत भरा हुआ मुख्य आवेदन फार्म प्राप्त होने के बाद निम्नलिखित उपायों द्वारा उनके पंजीकरण की पुष्टि की जाएगी :-

- संबंधित रेलवे/एनएसआईसी से क्रास सत्यापन के द्वारा।

अथवा

- संबंधित रेलवे के कार्यालय की वेबसाइट में उपलब्ध सूचना, समय-समय पर एनएसआईसी द्वारा जारी एनएसआईसी वेंडर बुकलेट से मिलान द्वारा।

अथवा

- अन्य रेलवे/एनएसआईसी से उनके पंजीकरण की स्थिति के संबंध में फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथ-पत्र द्वारा।

(vii) यदि फर्म किसी क्षेत्रीय रेलवे के भंडार नियंत्रक/एनएसआईसी/डीजीएस एंड डी द्वारा पंजीकृत नहीं है तो मुख्य सामग्री प्रबंधक द्वारा भंडार विभाग के किसी अधिकारी को निरीक्षण के लिए नामित किया जाएगा। निरीक्षण के लिए नामित अधिकारी का स्तर नीचे दिए अनुसार होगा :-

(ए) विनिर्माता श्रेणी की सभी फर्मों के निरीक्षण के लिए जहाँ क्षमता एमएडंपी, विनिर्माण क्षमता, टर्नओवर, वित्तीय क्षमता आदि के मूल्यांकन पर आधारित है वहाँ केवल कनि. प्रषा.ग्रेड/चयन ग्रेड का अधिकारी।

(बी) अन्य श्रेणी में (अर्थात प्राधिकृत डीलर/स्टेशनरी की प्रिंटिंग और अन्य आपूर्तिकर्ता के रूप में फर्म के पंजीकरण के लिए जहाँ कागजात का सत्यापन, डीलरशिप रिकार्ड, शॉप का पता/स्थान, गोदाम, अन्य संगठन के साथ व्यावसायिक पेपर, बैंक विवरण, आयकर विवरणी, बिक्रीकर विवरणी का सत्यापन किया जाना आवश्यक है वहाँ (यदि फर्म का टर्न ओवर रु. 1.0 करोड़ से कम है) वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारी को नामित किया जा सकता है। और (यदि फर्म का टर्नओवर रु. 10 करोड़ से अधिक है) वहाँ कनि. प्रशा.ग्रेड/चयन ग्रेड अधिकारी को नामित किया जा सकता है।

मुख्यालय का नामित अधिकारी वह अधिकारी होगा जो फर्म द्वारा अनुरोध किए गए ट्रेड ग्रुप को डील करता हो। बाहरी फर्मों के लिए फर्म के स्थान के समीपतम स्थान में नियुक्त अधिकारी को नामित किया जा सकता है। नामित अधिकारी द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट तीन सप्ताह के अंदर प्रस्तुत की जाएगी। निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद वेंडर पंजीकरण अनुभाग द्वारा अनुमोदन के लिए फाइल मुख्य सामग्री प्रबंधक/बिक्री को प्रस्तुत की जाएगी।

(viii) यदि फर्म एनएसआईसी/डीजीएसएंडडी/किसी क्षेत्रीय रेलवे अथवा रेलवे की उत्पादन इकाई से पंजीकृत है तो फर्म को उत्तर मध्य रेलवे में पंजीकृत करने के लिए पात्र समझा जाएगा और फाइल पंजीकरण के अनुमोदन के लिए मुख्य सामग्री प्रबंधक/बिक्री के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(ix) मुख्य सामग्री प्रबंधक/बिक्री द्वारा पंजीकरण का अनुमोदन प्रदान कर दिए जाने पर फर्म को दो वर्षों के लिए वैध पंजीकरण का अनंतिम प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

(x) **पंजीकरण की आर्थिक सीमा :**

जिस आर्थिक सीमा के अंतर्गत पंजीकरण किया गया है, उस सीमा तक पंजीकृत फर्मों को बयाना राशि न और जमानत राशि जमा करने की छूट है। हालांकि उस सीमा से उच्च मूल्य के आदेश देने पर भी पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि फर्म अपनी सामर्थ्य सह क्षमता के बारे में प्रमाणित करे और अतिरिक्त वैल्यू के लिए अपंजीकृत फर्मों की तरह बयाना राशि/जमानत राशि जमा करनी होगी।

विनिर्माता फर्म अपनी निम्नलिखित श्रेणियों/आर्थिक सीमा में से किसी एक में पंजीकृत किया जा सकता है :-

श्रेणी	आर्थिक सीमा
ए	रु. 40 लाख तक
बी	रु. 25 लाख तक
सी	रु. 10 लाख तक
डी	रु. 5 लाख तक
ई	रु. 1 लाख तक

यदि फर्म एनएसआईसी/डीजीएसएंडडी/रेलवे/रेलवे उत्पादन इकाई से पंजीकृत नहीं है तो निरीक्षणकर्ता अधिकारी की संस्तुति पर आर्थिक सीमा और ट्रेड ग्रुपों के लिए विनिर्माता के रूप में फर्म का पंजीकरण किया जाता है।

यदि फर्म पहले से ही एनएसआईसी/डीजीएस एंड डी/रेलवे/रेलवे उत्पादन इकाई से पंजीकृत है तो उनके पंजीकरण प्रमाण पत्रों, ट्रेड ग्रुपों की अधिकतम संख्या और अधिकतम आर्थिक-सीमा के आधार पर (उ.म.रे. में उपलब्ध श्रेणियों के अनुसार) पंजीकृत किया जा सकता है।

प्रधिकृत डीलर/स्टेशनरी की प्रिंटिंग एवं आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीकृत फर्में प्रारंभिक पंजीकरण के समय (रु.4 लाख तक की आर्थिक सीमा) में ई श्रेणी में पंजीकरण के लिए पात्र होंगी।

ऐसी फर्में जो रु. 4 लाख से अधिक से मूल्य के आदेशों के आपूर्ति के लिए प्रारंभिक रूप से पंजीकृत हैं, निरपवाद रूप से विनिर्माता होनी चाहिए।

6- अनुमोदित आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीकृत फर्म का नवीनीकरण :

पंजीकृत फर्म का यह पूर्ण दायित्व है कि वह पंजीकरण समाप्त होने की तिथि के तीन माह पहले नवीनीकरण के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत करे। फर्में अपने नवीनीकरण के अनुरोध के साथ पंजीकरण/नवीनीकरण प्रमाण-पत्र के पीछ उल्लिखित सभी कागजात अवश्य संलग्न करें।

वेंडर पंजीकरण सेक्शन द्वारा पंजीकृत फर्मों की स्थिति की समीक्षा तीन माह में की जाती है। उन सभी फर्मों को जिनका पंजीकरण पहले ही समाप्त हो चुका है अथवा आने वाले तीन माह में समाप्त होने जा रहा है उन्हें प्रत्येक वर्ष अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के माह में पंजीकृत डाक के जरिए नोटिस भेजी जाएगी। इस नोटिस में नवीनीकरण के लिए वांछित कागजात की सूची अथवा उत्तर प्रस्तुत करने की 30 दिनों की समय सीमा का भी उल्लेख किया जाएगा। नोटिस में दी गई समय सीमा के समाप्त होने पर फर्म के साथ भविष्य में इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। यदि फर्म नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहती है और नोटिस का जवाब भी नहीं देती है तो यह समझा जाएगा कि फर्म अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कराने की इच्छुक नहीं है। उक्त फर्म का पंजीकरण रद्द करने हेतु मामले की फाइल मुख्य सामग्री प्रबंधक/बिक्री के माध्यम से भंडार नियंत्रक को प्रस्तुत की जाएगी। यदि भंडार नियंत्रक अपना अनुमोदन देते हैं तो फर्म को इसकी सूचना भेज दी जाएगी।

6.1 पंजीकरण के नवीनीकरण आवश्यक कागजात :

6 (क) फर्म द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में समीक्षाधीन अवधि के दौरान स्टॉक और नान-स्टॉक मदों के आपूर्ति आदेशों के अनुपालन का विवरण और उसके साथ उसके प्रमाण स्वरूप प्राप्ति आदेश (आर.ओ.) तथा प्राप्ति चालान की प्रति जैसे साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए।

क्र.सं.	मद का विवरण	आदेश सं. एवं दि. का	आदेशित मात्रा	आपूर्ति की मात्रा	क्रय आदेश की कुल	क्रय आदेश में निर्धारित सुपुर्दगी अवधि	आपूर्ति की तिथि	प्राप्ति नोट/ प्राप्ति चालान

		विवरण			कीमत			संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

अथवा

भंडार नियंत्रक/उमरे के कार्यालय से कोई आपूर्ति आदेश प्राप्त न होने के परिणामस्वरूप यदि फर्म का निष्पादन निल रहता है तब उन्हें नीचे दिए गए (i) अथवा (ii) अथवा (iii) के अनुसार कोई एक कागजात अवश्य प्रस्तुत करना होगा-

(i) पंजीकरण अवधि के दौरान भंडार नियंत्रक/उमरे द्वारा आमंत्रित विभिन्न टेंडरों के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों की प्रति जिसमें वे असफल रहे थे। (एम एडं पी ग्रुपों के अधीन पंजीकृत फर्मों पर यह लागू नहीं होगा)।

(ii) यदि फर्म के पास प्रस्तुत प्रस्तावों की प्रति उपलब्ध न हो तब वह भंडार नियंत्रक/उमरे के पूर्वोक्त टेंडरों में उसने सहभागिता की है लेकिन उसे कोई आपूर्ति आदेश प्राप्त नहीं हुआ है के शपथ पत्र के साथ जिन टेंडरों में उसने सहभागिता की है उसकी नियत तिथि सहित विकल्प के रूप में टेंडरों की सूची प्रस्तुत कर सकती है।

(iii) पंजीकरण अवधि के दौरान यदि फर्म को कोई पूछताछ प्राप्त नहीं होती है तो फर्म को इस आशय की घोषणा करते हुए शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह जिस ट्रेड ग्रुप के लिए पंजीकृत थी उस ट्रेड ग्रुप के लिए पंजीकरण अवधि के दौरान उन्हें कोई टेंडर पूछताछ प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) 10 रुपए के गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर मूल शपथ-पत्र जो पब्लिक नोटरी द्वारा इस आशय का विधिवत साक्ष्यांकित हो संलग्न करना होगा कि -

(i) रेल मंत्रालय/आपूर्ति मंत्रालय अथवा अन्य सरकारी विभागों द्वारा फर्म के निदेशक/साझीदार/स्वामी सहित फर्म को प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

(ii) मेरे द्वारा सक्रिय सहभागिता के सबूत के तौर पर प्रस्तुत निष्पादन विवरण/कागजात सही हैं और इसमें मैंने कुछ भी छिपाया नहीं है।

(iii) फर्म के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(iv) फर्म के विरुद्ध में कोई वसूली शेष नहीं है।

(v) मध्यस्थता का कोई मामला लंबित नहीं है।

(ग) डिजिटल हस्ताक्षर वाले वैध प्रमाण पत्र की प्रति, ई-मेल पता, आईआरईपीएस वेबसाइट में पंजीकरण के दौरान प्राप्त आईडी कोड।

(घ) वैध आईएसओ प्रमाणपत्र।

(च) एनएसआईसी/डीजीएसएंडडी/क्षेत्रीय रेलवे/रेल उत्पादन इकाई द्वारा प्रदत्त पंजीकरण प्रमाण-पत्र की नोटराइज्ड प्रति।

6.2 नवीनीकरण की प्रक्रिया :

(i) फर्म द्वारा अपने कार्य निष्पादन अथवा अपनी सक्रिय सहभागिता के प्रमाण के तौर प्रस्तुत किए गए कागजात का सत्यापन एमएमआईएस में उपलबध डाटा से यादृच्छिक जाँच के आधार पर किया जाएगा।

(ii) क्रास सत्यापन के बाद, तथ्यों का उल्लेख करते हुए मामले की फाइल मुख्य सामग्री प्रबंधक/बिक्री के पास नवीनीकरण के अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी।

(iii) यदि नवीनीकरण प्रक्रिया के दौरान फर्म द्वारा अतिरिक्त ट्रेड ग्रुप में शामिल करने अथवा श्रेणी में वृद्धि करने का अनुरोध किया जाता है तो मामले को नीचे दिए गए पैरा 7.0 को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जाएगा।

(iv) 3 वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकरण किया जा सकता है। हालांकि फर्मों का कार्य निष्पादन/सहभागिता अपेक्षित स्तर तक न पाए जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा इस अवधि को कम किया जा सकता है।

(v) यदि मुख्य सामग्री प्रबंधक/बिक्री द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया जाता है तो फर्म को इसकी सूचना नवीनीकरण प्रमाण पत्र के माध्यम से दी जाएगी। अन्यथा पैरा 8.0 (i) में दिए गए विवरण के अनुसार पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

7- आर्थिक सीमा (श्रेणी) को बढ़ाने अथवा ट्रेड ग्रुप बढ़ाने के लिए मापदंड :

आर्थिक सीमा (श्रेणी) और ट्रेड ग्रुप में वृद्धि के लिए प्राप्त सभी अनुरोधों पर पंजीकरण अवधि के दौरान फर्म को मिले उच्च वैल्यू के खरीद आदेशों और फर्म द्वारा उसके निष्पादन और अन्य क्षेत्रीय रेलवे अथवा रेलवे की उत्पादन इकाइयों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के आधार पर विचार किया जाएगा।

ऐसे अनुरोधों पर केवल पंजीकरण अथवा नवीनीकरण के समय ही विचार किया जाएगा। प्रारंभिक पंजीकरण अथवा नवीनीकरण के समय जिस श्रेणी और ट्रेड ग्रुप का निर्धारण किया जाएगा वही श्रेणी और ट्रेड ग्रुप आगामी अवधि तक जारी रहेगा, जब तक कि उसकी समीक्षा न की जाए। तथापि अपवादी मामलों में प्रारंभिक पंजीकरण/नवीनीकरण किए जाने के एक माह के अंदर आर्थिक सीमा (श्रेणी) और ट्रेड ग्रुप में वृद्धि करने संबंधी सभी अनुरोधों को मुख्य सामग्री प्रबंधक/बिक्री के पास विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

8- फर्म का पंजीकरण रद्द करना/निलंबित करना/प्रतिबंध लगाना :

(i) पंजीकरण रद्द करना :

जब संबंधित मुख्य सामग्री प्रबंधक द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि फर्मों का कार्य निष्पादन निल/असंतोषजनक है अथवा फर्म का व्यवहार अव्यावसायिक है तब फर्म को मुख्य सामग्री प्रबंधक के पूर्व अनुमोदन से फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। यदि मुख्य सामग्री प्रबंधक/बिक्री यह पाते हैं कि फर्म का उत्तर संतोषजनक नहीं है तब वे फर्म के पंजीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और उस ट्रेड ग्रुप के प्रभारी मुख्य सामग्री प्रबंधक की अनुशंसा के साथ अपनी अनुशंसा देते हुए निर्णय लेने हेतु मामले को भंडार नियंत्रक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यदि भंडार नियंत्रक पंजीकरण रद्द करने का आदेश देते हैं तो फर्म को इसकी सूचना मानक प्रारूप नं. 10 में दी जाएगी।

(ii) **व्यवसाय का निलंबन/प्रतिबंध :**

कुछ फर्में अनैतिक कार्य, कपट एवं धोखाधड़ी में लिप्त पाई जाती है जिसके कारण रेलवे को वित्तीय हानि उठानी पड़ती है। सतर्कता विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के आदेशों और विस्तृत जाँच के लंबित रहने तक ऐसी फर्मों के साथ व्यवसाय को तुरंत रोक दिया जाएगा। व्यवसाय को तुरंत रोकने के लिए संबंधित मुख्य सामग्री प्रबंधकों की संस्तुतियाँ और भंडार नियंत्रक का निर्णय रिकार्ड पर रखना आवश्यक होगा। तब भंडार अथवा अन्य एजेंसियों के नामित जाँच अधिकारी को मामले को सौंप दिया जाएगा। जाँच के निष्कर्ष के आधार पर संबंधित मुख्य सामग्री प्रबंधक द्वारा फर्म पर लगाए गए आरोपों के साथ निलंबन अथवा व्यवसाय को प्रतिबंधित करने के लिए अपनी संस्तुति प्रस्तुत की जाएगी। सतर्कता नियमावली के अनुसार मुख्य सतर्कता अधिकारी और महाप्रबंधक के अनुमोदन से लीगल सेल से क्लियरेंस प्राप्त करने के बाद मामले को रेलवे बोर्ड अग्रेषित किया जाएगा। अगली कार्रवाई रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय) के निर्णय के अनुसार की जाएगी।

9- श्रेणी में वृद्धि करने और ट्रेड ग्रुपों की संख्या बढ़ाने के लिए फर्म के अनुरोध पर कार्यवाही :

आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद फर्म के उस ट्रेड ग्रुप के कार्य निष्पादन और प्राप्त किए गए आदेशों की वैल्यू के आधार पर उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/मुख्यालय द्वारा अनुमोदन और संस्तुति प्राप्त करने के लिए मामला मुख्य सामग्री प्रबंधक/बिक्री के पास प्रस्तुत किया जाएगा।

10-पते में परिवर्तन करने हेतु फर्म का अनुरोध :

फर्मों से पते में परिवर्तन करने का अनुरोध प्राप्त होने के बाद फर्म से मानक प्रारूप सं. 11 पर किराए की रसीद/नए पते की लीज, विलेख, नए पते पर आईटीसीसी/बिक्री कर प्रमाण पत्र/बिजली/टेलीफोन बिल और नए पते पर एनएसआईसी प्रमाण पत्र/कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी समामेलन प्रमाण पत्र जैसे विवरण प्रस्तुत करने लिए कहा जाएगा। यदि प्रस्तुत दस्तावेज जाँच के बाद सही पाए जाते हैं तो मुख्य सामग्री प्रबंधक (बिक्री) द्वारा पते में परिवर्तन करना स्वीकार कर लिया जाएगा।

11-फर्म के संगठन में परिवर्तन करने के लिए अनुरोध :

सामान्यतया निम्न प्रकार के अनुरोध प्राप्त होते हैं :-

(i) स्वामित्व को भागीदारी तथा इसके विपरीत परिवर्तन करने हेतु।

(ii) स्वामित्व/भागीदारी को लिमिटेड कंपनी में और इसके विपरीत अथवा प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में परिवर्तन करने हेतु।

(iii) इस रेलवे की पंजीकृत फर्म को दूसरी फर्म में समाहित करने हेतु।

(iv) इस रेलवे में पंजीकृत फर्म द्वारा किसी फर्म को टेक ओवर करने हेतु।

(v) फर्म के नाम में परिवर्तन।

(vi) साझेदारी में परिवर्तन अर्थात साझेदार के अलग होने अथवा नए साझेदारों को शामिल करने हेतु।

फर्म के संविधान में परिवर्तन करने से संबंधित मामलों को डील करते समय निरपवाद रूप से विधिक राय अवश्य ली जाएगी और फार्म ए के साथ साझेदारी विलेख, अनुच्छेद और संगठन का ज्ञापन, अनुबंध विलेख, त्रिपक्षीय अनुबंध, आईटीटीसी के संकल्प की प्रति और बिक्री कर प्रमाण पत्र, एनएसआईसी प्रमाण पत्र तथा जो नए संघटक में सन्निहित है उनके अनुसार कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी समामेलन का प्रमाण पत्र आदि जैसे सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। उपरोक्त पैरा 8.0 में वर्णित अनुसार मुख्य सामग्री प्रबंधक (बिक्री) के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए मामला प्रस्तुत करने से पहले विधिक दस्तावेज विधि अधिकारी द्वारा विधिक्षित हैं, यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा।

टिप्पणी : उपरोक्त प्रक्रिया वर्तमान लागू नियमों और विनियमों के अधीन की जाएगी।